मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

1. **उद्देश्य**

इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना, विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करना, कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करना एवं बाल विवाह को रोकना है।

2. **निधि का संवितरण**

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शत प्रतिशत राज्य सरकार की योजना है।

3. **देय राशि**

इस योजना अन्तर्गत कन्या के विवाह के समय 5000/- रू0 का भुगतान कन्या के बैंक खाते में किया जाता है।

4. **पात्रता**

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार अथवा ऐसे अन्य परिवार जिनकी आय 60000/- रू0 तक की हो, की 18 वर्ष से अन्यून विवाहित कन्याएँ होंगी जिनका विवाह निबंधन हो चूका हो|

5. **प्रक्रिया**

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में प्रखंड कार्यालय के RTPS काउंटर पर जमा करेंगे तथा इसकी स्वीकृति जांचोपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी।

6. **उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया**

विभिन्न संस्थाओं/सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण ईकाई के कार्यालय से प्राप्त व्यय विवरणी सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र महिला विकास निगम को उपलब्ध कराया जाता है। महिला विकास निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय के माध्यम से महालेखाकार को भेजा जाता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जिला बाल संरक्षण ईकाई के कार्यालय से प्राप्त व्यय विवरणी सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र समाज कल्याण निदेशालय के माध्यम से महालेखाकार को भेजा जायेगा।

7. **अनुश्रवण की प्रक्रिया**

जिला स्तर पर जिला परियोजना प्रबंधक/जिला बाल संरक्षण ईकाई/ जिला पदाधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा बैठकों में सभी योजनाओं की समीक्षा एवं मूल्यांकन की जाती है तथा राज्य स्तर पर आयोजित मासिक/त्रैमासिक एवं वार्षिक समीक्षा बैठकों में महिला विकास निगम/विभाग द्वारा योजनाओं की समीक्षा की जाती है। सभी योजनाओं के लिए समेकित एम0आइ0एस0 प्रणाली के अतिरिक्त थर्ड पार्टी द्वारा समय-समय पर संघात मूल्यांकन तथा निगम के पदाधिकारियों द्वारा समय-समय पर क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं की समीक्षा की जाती है।

8. **शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स**

अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहॉं इस योजना से सम्बंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है। इसके अतिरिक्त इस योजना से संबंधित शिकायत जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी तथा राज्य स्तर पर प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम तथा अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है।